सीमा शुल्क सहायक आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क मडंल, नं. 4, फर्स्ट लाइन बीच रोड, नागपट्टिनम - 611 001
CUSTOMS DIVISION, No.4, FIRST LINE BEACH ROAD, NAGAPATTINAM –611 001
Phone No.4365-242791 FAX: 4365-242716-242271
email: accustomsnagai@yahoo.co.in

सी.सं.VIII / 48/ 17/ 2016 – डीपीयू

दिनांक : 07/03/2019

अनुपयोगी वाहनों के निपटान के लिए निविदा आमंत्रित करने हेतु नोटिस

सीमा शुल्क सहायक आयुक्त का कार्यालय, सीमा शुल्क मंडल, नागपट्टिनम 'जैसा है जहाँ है' आधार पर निम्नलिखित विभागीय अनुपयोगी वाहनों के नीलामी/बिक्री के लिए मुहरबंद निविदा (निर्धारित फार्मेट में) आमंत्रित करता है ।

क्रम सं	पंजीकरण सं	मॉडल	उत्पादन का वर्ष	निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध स्थान
01	टीएन45 एफ 6292	मारुति जिप्सी	1996	सीमा शुल्क अधीक्षक का कार्यालय, मुत्तुपेट

इस निविदा के तहत बिक्री संलग्नक-ए तथा बिड फार्म संलग्नक-बी में निहित निबंधन व शर्तों द्वारा नियंत्रित होगी।

ऊपर उल्लिखित विभागीय अनुपयोगी वाहनों को खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति वाहन को 25/03/2019 तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक उपरोक्त स्थान पर निरीक्षण कर सकते है । टेंडर के बारे में कोई भी पूछताछ/ब्योरा अधीक्षक, मंडल निवारक, सीमा शुल्क सहायक आयुक्त का कार्यालय, सीमा शुल्क मंडल, नागपट्टिनम से लिए जा सकते है ।

इस निविदा के संबंध में निबंधन और शर्तें (संलग्नक-ए) और बोली फार्म (संलग्नक-बी) कार्यालयीन वेबसाइट www.cbec.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं ।

इच्छुक पार्टियों/ व्यक्तियों को इस नोटिस के साथ संलग्न निर्धारित फार्मेट (संलग्नक बी) में अपनी बोली प्रत्येक वाहन के लिए सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क मंडल, नागपट्टिनम के नाम पर रु.5000 (रुपए पाँच हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट स्वरूप बयाना के साथ प्रस्तुत करना है ।

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख शाम 5:00 बजे 25/03/2019 है । मुहरबंद निविदा बोलीदाताओं की उपस्थिति में 26.03.2019 के सुबह 11.00 बजे खोले जाएंगे ।

(एस. नारायणमूर्ति)
सहायक आयुक्त

Scanned by CamScanner

संलग्नक-ए

निबंधन और शर्तें

1. मुहरबंद बोली इस कार्यालय द्वारा 25.03.2019 के शाम 5.00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी । निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त कोई भी बोली विचारार्थ नहीं ली जाएगी । निविदा सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क मंडल, नागपट्टिनम के नाम पर होना है ।

2. बोली प्राप्त होने की तारीख से 2 महीने की अवधि के लिए बोली विधिमान्य होगा ।

3. पुराने अनुपयोगी विभागीय वाहन की खरीद के लिए बोलीदाता द्वारा कोट किए गए दर सर्व-समावेशी होगा और 'जैसा है जहाँ है' आधार पर होगा । कोई भी सांविधिक या अन्य प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा। सफल बोलीदाता इस कार्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई तारीख व समय को वाहनों को अपने स्वामित्व में लेगा और उसी दिन अपने खर्चे में उनके परिवहन की व्यवस्था करेगा ।

4. उच्चतम दर के आधार पर वाहनों का निपटान किया जाएगा । तथापि, प्राप्त कोटेड मूल्य उचित बाजार मूल्य के कम होने की स्थिति में बोली प्रक्रिया से वाहनों को वापस लेने का अधिकार इस कार्यालय के पास आरक्षित है ।

5. सफल बोलीदाता को समय सीमा का पालन करना है । अपेक्षित रकम को निर्धारित तिथि/समय के पहले जमा न करने पर संविदा और बयाना रकम को खो दे सकते हैं । वाहनों की सुपुर्दगी के बाद वाहन या व्यक्ति की कोई क्षति के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

6. संविदा दिए जाने के पहले कोई एक या सभी बोली को, वे प्राप्त होने के बाद अस्वीकार करने सहित, किसी भी समय बोली प्रक्रिया को, प्रभावित बोलीदाता को बिना कोई दायित्व के और इस कार्यालय के उक्त कार्रवाई का कारण प्रभावित बोलीदाता को बताने के कोई दायित्व के बिना, रद्द करने का, अधिकार इस कार्यालय के पास आरक्षित है ।

7. बोलीदाता द्वारा अपनी बोली लगाने से पहले प्रत्यक्ष रूप से देखकर वाहनों का निरीक्षण किया जाए । वाहनों के निरीक्षण के लिए अधीक्षक, निवाकर एकक, सीमा शुल्क मंडल, नागपट्टिनम से संपर्क किया जाए । **वाहनों का निरीक्षण 25/03/2019 तक कोई भी कार्यदिवस में सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक किया जा सकता है ।** निविदा समाप्त होने के बाद किसी भी तरह की शिकायत स्वीकार्य नहीं होगी । निविदा प्रस्तुत करने के बाद निरीक्षण का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

8. प्रस्ताव/बोली मूल्य के 100 % जमा करने के बाद सफल बोलीदाता को वाहन सौंपा जाएगा ।

9. भुगतान किसी राष्ट्रीकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ही इस कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाएगा । आदेश के वितरण की तारीख से 7 दिन के अंदर सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान प्रस्तुत किया जाना है अथवा आदेश रद्द किया जाएगा और बयाना जब्त हो जाएगा ।

10. विवाद, यदि हो, तो नागपट्टिनम अदालत के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा ।
11. टेंडरिंग फार्म प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना है । छायाप्रति या अहस्ताक्षरित कोटेशन या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर न किए हुए कोटेशन अस्वीकार किए जाएंगे ।

Scanned by CamScanner

12. रिलीस आदेश जारी होने के तत्काल बाद से वाहन की संरक्षित अभिरक्षा या उसकी कोई क्षति के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा ।

13. बोलीदाता अगर कंपनी हो, तो कंपनी का नाम बोलीदाता के रूप में दर्शाया जाना है । ऐसे मामलों में कंपनी के लिए हाजिर होनेवाले व्यक्ति को कंपनी कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित प्रारूप में जारी प्राधिकार पत्र को अपने पास रखना है । निविदा प्रस्तुत करने के बाद, निविदा में बोलीदाता के नाम को बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

14. 'अनुपयोगी कार्यालय वाहन की बिक्री के लिए टेंडर' उपरिलिखित मुहरबंद निविदा बोलीदाताओं की उपस्थिति में 01/03/2019 को सुबह 11.00 बजे खोले जाएंगे ।

15. मुहरबंद निविदा को खोलने के लिए निर्धारित दिन किसी अप्रत्याशित कारण वश अगर छुट्टी घोषित हो जाने पर, निविदा ठीक अगले कार्यदिवस को खोले जाएंगे ।

16. बोलीदाता संबंधित वाहन की खरीद मूल्य को शब्दों में और अंकों में कोट करेंगे । शब्दों में और अंकों में कोट की गयी मूल्य में अगर अंतर हो तो, शब्दों में कोट किया गया दर ध्यान में रखा जाएगा ओर रिकार्ड पर स्वीकार किया जाएगा ।

17. बोलीदाता को अपना पूरा नाम/ फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम/ पिता का नाम, पूरा डाक पता, दूरभाष संख्या एवं मोबाइल नंबर को प्रकट करना है ।

18. बोलीदाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सुपुर्दगी लेने की अनुमति दी जाएगी । बोलीदाता को दस्तावेजी प्रमाण के रूप में कोई दस्तावेज पेश करना है (व्यक्ति होने पर राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र और फर्म, आदि के लिए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र)

19. सफल बोलीदाता वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र को शीघ्रता से अपने ही खेर्चे पर अपने नाम में हस्तांतरण करने के लिए जिम्मेदार होगा । इस संबंध में उसका कोई भी चूक के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

20. पूरा भुगतान प्राप्त होने के बाद ही वाहन की सुपुर्दगी की जाएगी और डील समाप्त होने से 7 दिन के अंदर उनके खर्चे पर वाहन को उठाना होगा । निपटाए गए वाहन को उपरोक्त स्थान से छुट्टी के दिन, शनिवार और रविवार आदि को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(एस. नारायणमूर्ति)
सहायक आयुक्त

प्रतिलिपि - 1. नोटिस बोर्ड
2. http://www.cbec.gov.in/
3. http://www.customstrichy.gov.in
4. हिन्दी कक्ष

Scanned by CamScanner

संलग्नक-बी

अनुपयोगी वाहन के निपटान के लिए दरों की पेशकश का प्रोफार्मा

बयाना राशि	रु.
	रुपए (शब्दों में)
बयाना का विवरण	डीडी/बैंकर्स चेक सं
	दिनांक
	बैंक
	शाखा
बोलीदाता का नाम	
बोलीदाता का पता *	
दूरभाष सं/मोबाइल सं	

*पता पूरा होना चाहिए और प्रमाण के साथ होना है (राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस/ पारपत्र, आदि का स्व अनुप्रमाणित प्रतियां) बोलीदाता को दिए गए पते पर सूचना प्राप्त करने हेतु हमेशा उपलब्ध होना है ।

सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क मंडल, नागपट्टिनम 611001 द्वारा बिक्री हेतु दिए जा रहे कार के लिए मैं/हम मेरा/हमारा उच्चतम कोटेशन प्रस्तुत करता/ते हूँ/हैं ।

क्रम सं	पंजीकरण सं	मॉडल	उत्पादन का वर्ष	बताया गया दर
01	टीएन45 एफ 6292	मारुति जिप्सी	1996	

1. मैं/हम ने उपरोक्त आफर सं संबंधित निबंधन व शर्तों को ध्यानपूर्व पढ लिया है, विशेषत: बयाना के बारे में,और इनका पूर्णत: पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं । आफर के संबंध में उठ रहे कोई भी विवाद पर सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क मंडल, नागपट्टिनम का निर्णय मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा ।
2. फाइल सी.सं. VIII/48/17/2016 दिनांक 15.02.2019 के टेंडर नोटिस, जो मेरे/हमारे और सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क मंडल, नागपट्टिनम के बीच का संविदा का बल होगा, में उल्लिखित निबंधन व शर्तों के किसी एक या सभी शर्त को पूर्ण रूप से या अंशत: पालन ने करने पर बयाना की जब्ती के लिए मैं/हम सहमत हूँ/है ... अगर मुझे/हमें सफल बोलीदाता घोषित किया जाता है ।
3. मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता/देते हूँ/हैं कि उक्त वाहन सद्भावी/विधिसम्मत प्रयोजन के लिए ही प्रयोग किए जाएँगे ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

पूरा नाम

दिनांक

सील

Scanned by CamScanner